न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 71 / 2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. दिलीप कुमार पुत्र लालाराम 2. पृथ्वीराज पुत्र प्रहलादराम 3. भगवान दास पुत्र मोहनलाल जातियान जीनगर निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. रामाराम पुत्र कोजाराम 2. बादराराम पुत्र कोजाराम 3. सुरताराम पुत्र कोजाराम 4. पोकरराम पुत्र बगदाराम 5. मिश्राराम पुत्र बगदाराम 6. टीकमा राम पुत्र कुंभाराम 7. शंकर राम पुत्र कुंभाराम 8. केली देवी पुत्री कुंभाराम 9. चुनी देवी पुत्री कुंभाराम 10. पोनोदेवी पुत्री कुंभाराम जातियान मेघवाल निवासी महादेव नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 11. तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 11 के पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 21.07.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:54 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि – त[illegible]धरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम महादेव नगर के खेत [illegible] हैक्टेयर व खेत खसरा सं. 282 रकबा 2.6697 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादप[illegible]दिनांक 03.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके [illegible]न का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

सहायक कलक्टर
[illegible] सिणधरी

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार हल्का चाडो की ढाणी के ग्राम महादेव नगर के खेत खसरा सं. 182 रकबा 4.2311 हैक्टेयर व खेत खसरा सं. 282 रकबा 2.6697 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	1. दिलीप कुमार पुत्र लालाराम 1/3 2. पृथ्वीराज पुत्र प्रहलादराम 1/3 3. भगवानदास पुत्र मोहनलाल 1/3 जाति जीनगर सा. देह खातेदार।	महादेव नगर	282	1.1501	बा.दो	0.15	लाल
		कुल	**1**	**1.1501**	**बा.दो.**	**0.15**	
2.	1. रामाराम 1/5, सुरताराम 1/5 पुत्र कोजाराम 2. पोकरराम 1/10, मिश्राराम 1/10 पुत्र बगदाराम 3. टीकमाराम 1/10, शंकरराम 1/10 पुत्र कुंभाराम 4. वंशाराम 1/30, हीराराम 1/30, कबुदेवी 1/30, कमलादेवी 1/30, गट्टूदेवी 1/30, सुकीदवी 1/30 पिता बादराराम जाति मेघवाल सा. देह खोतदार।	महादेव नगर	182	4.2311	बा.दो.	0.55	हरा
		महादेव नगर	282	1.5196	बा.दो.	0.20	
		कुल	**2**	**5.7507**	**बा.दो.**	**0.75**	

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीनी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीनी

1. दिलीप कुमार पुत्र लालाराम
2. पृथ्वीराज पुत्र प्रहलादराम
3. भगवान दास पुत्र मोहनलाल

जातियान जीनगर निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामाराम पुत्र कोजाराम
2. बादराराम पुत्र कोजाराम
3. सुरताराम पुत्र कोजाराम
4. पोकरराम पुत्र बगदाराम
5. मिश्राराम पुत्र बगदाराम
6. टीकमा राम पुत्र कुंभाराम
7. शंकर राम पुत्र कुंभाराम
8. केली देवी पुत्री कुंभाराम
9. चुनी देवी पुत्री कुंभाराम
10. पोनोदेवी पुत्री कुंभाराम

    जातियान मेघवाल निवासी महादेव नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
11. तहसीलदार सिणधरी।

दावा बाबतः— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 72/2024

निर्णय दिनांक :— 21.07.2025

वादीगण की ओर से **श्री पाबूराम बेनीवाल** अधिवक्ता, तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.07.2025 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**— वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 21.07.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 21.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति [illegible] स्टाम्प 2.अ[illegible] लिए स्ट[illegible] 3.[illegible] फीस 4.साक्षियों के [illegible] व्यय 5.आदेशिका [illegible] 6.[illegible]	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:40:54 IST
Reason: SelfAttested